विविध प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रकरण संख्या 63/2020 (GCMS 2020/00148) अनवानी 1. सीताराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी भोपालपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 2. सीताराम पुत्र रिछपाल जाति बिश्नोई निवासी भोपालपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24.02.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अभिभाषक श्री आनन्द व्यास एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार उपस्थित हुए। दोनों पक्षो की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.01.2019 के द्वारा 6 ए के प्रकरण संख्या 84/2018 सरकार बनाम सीताराम पुत्र हुकमाराज एवं सीताराम पुत्र रिछपाल में जब्तशुदा 2620 लीटर डीजल, वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5121 को राजसात करने के आदेश दिये गये थे एवं वाहन स्वामी पर राशि 1,70,981/– रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया था। जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा सैशन न्यायालय, श्रीगंगानगर में एक अपील संख्या 71/2019 अन्तर्गत धारा 6 सी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत करने पर अपील स्वीकार कर वाहन एवं डीजल की विक्रय राशि, विक्रय की तिथि से 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित लौटोने के आदेश दिये गये थे एवं दांडिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 157/2019 में सीताराम पुत्र हुक्माराम एवं सीताराम पुत्र रिछपाल को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से भी उन्मोचित किये जा चुके है ।

उनका आगे कथन है कि जिला रसद अधिकारी किसी प्रकार की अपील/निगरानी या रिट माननीय उच्च न्यायालय में पेश नहीं की गई है एवं ना ही विचाराधीन है। जिला एवं सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के आदेश अंतिम होने के पश्चात प्रार्थी विधिनुसार प्रकरण में जब्तशुदा वाहन/डीजल या डीजल राशि प्रापत करने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा डीजल/वाहन पूर्व

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

में प्राप्त कर रखा है परन्तु प्रार्थी द्वारा जुर्माने के रूप में जमा करवाई गई राशि 1,70,981/— रूपये शेष है जो प्रार्थी प्राप्त करने का हकदार है। इसलिए उक्त वाहन मालिक प्रार्थी सीताराम पुत्र श्री हुकमाराम, जाति जाट निवासी भोपालपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर की जब्तशुदा राशि 1,70,981/— रूपये उसे लौटाने के आदेश दिये जावें।

विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि माननीय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 21.01.2019 को माननीय सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा दाण्डिक अपील संख्या 71/2019 का निस्तारण करते हुए निर्णय दिनांक 08.01.2019 द्वारा अपास्त किया गया। प्रकरण में कोई भी अपील/निगरानी किसी भी माननीय न्यायालय में पेश नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में कार्यालय पत्रांक 476 दिनांक 16.01.2020 द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा डीजल 2620 लीटर 1. सीताराम पुत्र हुक्माराम व 2. सीताराम पुत्र रिछपाल को माननीय सैशन न्यायाधीश, श्रीगगानगर द्वारा दाण्डिक अपील संख्या 71/2019 में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2020 की पालना मे सुपुर्द करने हेतु लिखा गया, जिसके सम्बन्ध में पुलिस थाना सूरतगढ सदर जिला श्रीगंगानगर के पत्रांक 283 दिनांक 20.01.2020 के अनुसार डीजल की मात्रा संबंधित को लौटाई जा चुकी है। सीताराम पुत्र हुक्माराम को चालान संख्या 31446325 दिनांक 28.06. 2019 द्वारा 1,70,981/— रूपये राजकोष में जमा करवाई गई राशि लौटाने हेतु माननीय के स्तर में आदेश जारी किया जाना है।

मैनें दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.01.2019 के द्वारा 6 ए के प्रकरण संख्या 84/2018 सरकार बनाम सीताराम पुत्र हुकमाराज एवं सीताराम पुत्र रिछपाल में जब्तशुदा 2620 लीटर डीजल एवं वाहन संख्या आरजे

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

13 जीबी 5121 को राजसात किया गया था एवं वाहन स्वामी पर 1,70,981/— रूपये जुर्माना अधिरोपित किया गया था। जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा सैशन न्यायालय, श्रीगंगानगर में एक अपील संख्या 71/2019 अन्तर्गत धारा 6 सी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत करने पर अपील स्वीकार करने पर वाहन एवं डीजल की विक्रय राशि, विक्रय की तिथि से 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित लौटोने के आदेश दिये गये थे एवं दांडिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 157/2019 में सीताराम पुत्र हुक्माराम एवं सीताराम पुत्र रिछपाल को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से भी उन्मोचित किये जा चुके है और प्रार्थीगण द्वारा जिला रसद अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 04.09.2020 के अनुसार डीजल/वाहन पूर्व में प्राप्त कर रखा है। विभाग द्वारा भी प्रकरण में कोई भी अपील/निगरानी किसी भी न्यायालय में पेश नहीं की गई है। अब केवल वाहन की जुर्माना राशि 1,70,981/— रूपये लौटाने शेष है जो उक्त निर्णयानुसार राजसात किए गये वाहन की जुर्माना राशि 1,70,981/— रूपये जो चालान संख्या 31446325 दिनांक 28.06.2019 के द्वारा सीताराम पुत्र हुक्माराम द्वारा जमा करवाए गये थे। जिला रसद अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी सीताराम पुत्र हुक्माराम जाति जाटा निवासी भोपालपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर द्वारा राजकोष में जमा करवाई गई राशि 1,70,981/— रूपये नियमानुसार उसकी पहचान कर उसे लौटाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं मूल पत्रावली में निर्णय की प्रति शामिल हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर